फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रेमलाल
किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती लालु
पत्रावली संख्या : 115/19
जीसीएमएस : 2019/00392

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 25 पर दर्ज आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 304 पर दर्ज आराजी नम्बर 1377, 1383 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 305 पर दर्ज आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 257 पर दर्ज आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 64 पर दर्ज आराजी नम्बर 2 से 12, 25 से 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 कुल रकबा 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन हैं कि विपक्षी संख्या 1 लालु, मोती के गोद चला गया इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने मूल पिता शंकर की भूमि में भी हिस्सा अंकित करवा लिया एवं कंकु बेवा मोती फोत होने पर उसके हिस्से में भी गोदनामा के आधार पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि जमाबंदी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया राजस्व रिकॉर्ड में लालु पिता हमेरा एवं लालु मु. मोती दोनो नाम दर्ज है। इस प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतित होता है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 27.12.2019 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 25 पर दर्ज आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 304 पर दर्ज आराजी नम्बर 1377, 1383 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 305 पर दर्ज आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 257 पर दर्ज आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 64 पर दर्ज आराजी नम्बर 2 से 12, 25 से 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 कुल रकबा 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थि[illegible] रखें।

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली